[2019] 13 एस.सी.आर. 634

विरुधुनगर हिंदू नादरगल

धर्म परिबलाना सबाई और ओआरएस

बनाम

तूतीकोरिन एजुकेशनल सोसायटी और अन्य

(सिविल अपील संख्या 7764 ऑफ़ 2019)

अक्टूबर 03, 2019

[आर. एफ. नरीमन और वी. रामसुब्रमण्यम, जे.जे.] भारत का संविधान:

भारत का संविधान:

अनुच्छेद 227 - के तहत क्षेत्राधिकार - का दायरा - हालांकि अपील के उपाय की उपलब्धता हमेशा उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक बाधा नहीं हो सकती है - लेकिन सीपीसी के तहत सिविल कार्यवाही में, जब फोरम सिविल कोर्ट है, तो इसके तहत उपाय की उपलब्धता सीपीसी, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकेगा - वर्तमान मामले में, चूंकि अपील का विशिष्ट उपाय पार्टी के लिए उपलब्ध था, उच्च न्यायालय को कला के तहत संशोधन पर विचार नहीं करना चाहिए था। 227.

निषेधाज्ञा:

एक सिविल मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा - अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी-सोसाइटी के प्रतिवादी-सचिव को सचिव के रूप में कार्य करने से रोकना - पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा आदेश को यह कहते हुए रद्द करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया कि इसे जल्दबाजी में पारित किया गया था - सर्वोच्च न्यायालय में अपील न्यायालय - माना गया: उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि प्रतिवादी-सचिव को प्रतिवादी-समाज के सचिव के रूप में कार्य करने से रोक दिया गया था, वह प्रतिवादी समाज की

ओर से पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं कर सकता था - उच्च न्यायालय का यह मानना भी गलत था आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया था - विपरीत पक्ष को विधिवत सुनने के बाद निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया था - सीपीसी के आदेश XXXIX r.3A में 30 दिनों के भीतर निषेधाज्ञा आवेदन के निपटान का भी आदेश दिया गया है - इसलिए, लागू आदेश को रद्द कर दिया गया - एडवोकेट कमिश्नर को 'जनरल' बुलाने के लिए नियुक्त किया गया पदाधिकारियों के चुनाव के लिए निकाय' के साथ-साथ 'कार्यकारी समिति' की बैठक - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - या। XXXIX r.3A

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गया: 1. मुख्य रूप से उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज करके गलती की कि मुकदमे में पांचवें प्रतिवादी (तीसरे प्रतिवादी) के उदाहरण पर, सीपीसी के आदेश XLI, नियम 1 (आर) के तहत पहले से ही एक अपील थी। निषेधाज्ञा का वही आदेश और, इसलिए, अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को लागू करने का कोई औचित्य नहीं था। [पैरा 11]

2. उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि जब धारा 104(1)(i) के तहत अपील का उपाय आदेश XLIII के साथ पढ़ें, सीपीसी का नियम 1(आर) सीधे उपलब्ध था, उत्तरदाताओं 1 और 2 को इसका सहारा लेना चाहिए था। यह सच है कि अपील के उपाय की उपलब्धता हमेशा उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में बाधा नहीं बन सकती है। लेकिन अदालतों को हमेशा (i) ऐसे मामलों के बीच अंतर को ध्यान में रखना चाहिए जहां सीपीसी के प्रावधानों के संदर्भ में सिविल न्यायालयों के समक्ष ऐसा वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और (ii) ऐसे मामले जहां ऐसे वैकल्पिक उपाय विशेष अधिनियमों और/या वैधानिक नियमों के तहत उपलब्ध हैं और इसमें उपलब्ध मंच अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण और न्यायाधिकरण हैं। पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में, जिसमें सिविल अदालतों के समक्ष मुकदमे और अन्य कार्यवाही शामिल हो सकती है, सीपीसी के प्रावधानों के संदर्भ में अपीलीय उपाय की उपलब्धता को लगभग पूर्ण रोक के रूप में माना जा सकता है। अन्यथा, यह ख़तरा है कि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 227 के तहत पुनरीक्षण में चुनौती दे सकता है, यहां तक कि एक मुकदमे में पारित डिक्री को भी उन्हीं आधारों पर चुनौती दे सकता है जिन पर उत्तरदाताओं 1 और 2 ने उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान किया था। "सिविल कोर्ट के आदेश न्यायिक/सिविल

अदालतों के अलावा अधिकारियों या न्यायाधिकरणों या अदालतों के आदेशों से भिन्न आधार पर होते हैं। इसलिए जहां भी कार्यवाही सीपीसी के तहत होती है और मंच सिविल कोर्ट है, सीपीसी के तहत एक उपाय की उपलब्धता, न केवल स्वयं लगाए गए प्रतिबंध के उपाय के रूप में, बल्कि अनुशासन और विवेक के मामले के रूप में, उच्च न्यायालय को रोक देगी। संविधान के तहत अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करना। इसलिए, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के तहत संशोधन पर विचार नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे मामले में जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील का एक विशिष्ट उपाय प्रदान किया गया है। [पैरा 12, 13 और 14]

3. एक अन्य पहलू जिसे उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया वह यह था कि दूसरे प्रतिवादी को पहले प्रतिवादी समाज के सचिव के रूप में कार्य करने से उप-न्यायालय ने पहले ही रोक दिया था। अभिलेखों से पता चलता है कि प्रथम प्रतिवादी समाज के साथ-साथ दूसरे प्रतिवादी द्वारा भी उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिवीजन दायर किया गया था। दूसरा प्रतिवादी न केवल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका में दूसरा याचिकाकर्ता था, बल्कि उसने सिविल पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के समक्ष अपने सचिव के रूप में पहले प्रतिवादी-सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने की भी मांग की थी। जिस तारीख को पहले प्रतिवादी सोसायटी ने उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिवीजन दायर किया था, उस दिन दूसरा प्रतिवादी सचिव नहीं था और सोसायटी की ओर से कार्य नहीं कर सकता था। इस पहलू को भी हाई कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया. [पैरा 15 और 16]

4. उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि ट्रायल कोर्ट बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ी, अनुचित प्रतीत होती है। सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 3ए में ही 30 दिनों के भीतर निषेधाज्ञा के लिए आवेदन के निपटान का आदेश दिया गया है, जब भी विपरीत पक्ष को नोटिस दिए बिना निषेधाज्ञा दी गई थी। वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट ने निषेधाज्ञा का एकपक्षीय आदेश दिए बिना, विपरीत पक्षों को दस्तावेजों के साथ जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति देने का फैसला किया और फिर निषेधाज्ञा के लिए आवेदन की अनुमति देने से पहले विपरीत पक्षों को सुना। गणितीय परिशुद्धता के साथ त्वरित निपटान और जल्दबाजी में प्रेषण के बीच सीमा रेखा खोजना संभव नहीं है। किसी भी मामले में, भले ही उच्च न्यायालय आश्वस्त था कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में कार्रवाई की थी, उच्च न्यायालय केवल मामले को वापस भेज सकता था। लेकिन उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर कोई निष्कर्ष दर्ज किए

बिना निषेधाज्ञा के आवेदन को अनुमति दे दी। वास्तव में ट्रायल कोर्ट का आदेश प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटता है और दलीलों और दस्तावेजों पर उचित विचार के बाद गुण-दोष के आधार पर पारित किया जाता है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मामले को गुण-दोष के आधार पर भी नहीं निपटाया। इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किये जाने योग्य है और ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल किये जाने योग्य है। [पैरा 17 और 18]

5. यह न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक द्वारा सिविल पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी है28.08.2018, दूसरे प्रतिवादी ने 25.09.2018 को आम सभा और कार्यकारी समिति की बैठक की और चुनाव भी कराए। नोटिस का आदेश दिया गया तथा उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में यथास्थिति का अंतरिम आदेश दिनांक 8.10.2018 को ही पारित किया गया। आम तौर पर, उपरोक्त परिस्थितियों में, अपील को निष्फल माना जा सकता था। लेकिन वर्तमान मामले में सामान्य निकाय की प्रत्येक बैठक और प्रथम प्रतिवादी-सोसाइटी के चुनाव कराने के हर प्रयास ने तीन अलग-अलग मंचों अर्थात् (i) सिविल न्यायालयों (ii) रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज (iii) के समक्ष मुकदमेबाजी की एक श्रृंखला बनाई है। उच्च न्यायालय (रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के आदेशों से उत्पन्न रिट याचिकाओं में)। इसलिए, विभिन्न मंचों पर पार्टियों के बीच सभी मुकदमों को समाप्त करने का एकमात्र तरीका यह होगा कि लागू आदेश और उसके अनुसार होने वाले चुनावों को रद्द कर दिया जाए और आम सभा के साथ-साथ कार्यकारी समिति को बुलाने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की जाए। पदाधिकारियों के चुनाव के लिए. तदनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कथित तौर पर हुए चुनावों को रद्द किया जाता है। [पैरा 19, 20 और 21]

> ***वेंकटसुब्बैया नायडू बनाम एस. चेल्लप्पन और अन्य।*** **(2000) 7 एससीसी 695 : [2000] 3 पूरक। एससीआर 303** ***; राधे श्याम बनाम छवि नाथ*** **(2015) 5 एससीसी 423: [2015] 3 एससीआर 197 - पर भरोसा किया गया। सूर्य** ***देव राय बनाम राम चंदर राय*** **(2003) 6 एससीसी 675: [2003] 2 पूरक। एससीआर 290 - खारिज कर दिया गया।**

केस कानून संदर्भ

[2000] 3 पूरक। एससीआर 303	पैरा 12	पर भरोसा किया गया
[2003] 2 सप्ल एससीआर 290	पैरा 13	को खारिज कर दिया गया
[2015] 3 एससीआर 197	पैरा 13	पर भरोसा किया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 7764।

सी.आर.पी. में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के दिनांक 21.08.2018 के निर्णय और आदेश से। 2018 का क्रमांक 1084।

आर. आनंद पद्मनाभन, के. सेल्वराज, अरविंद सी., शशि भूषण कुमार, सलाहकार। अपीलकर्ताओं के लिए

. विजय हंसारिया, वरिष्ठ वकील, अशोक माथुर, आर. कन्नन, टी. एंटनी ए., वकील। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

वी. रामसुब्रमण्यन

1. छुट्टी स्वीकृत.

2. संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पारित उच्च न्यायालय के एक आदेश से व्यथित होकर, ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए, वादी इस अपील के साथ आए हैं।

3. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आर. आनंद पद्मनाभन और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया को सुना है

4. अपीलकर्ताओं ने 2018 के ओएस नंबर 145 पर मुकदमा दायर किया है। थूथुकुडी में प्रधान जिला मुंसिफ की फाइल, (i) एक घोषणा के लिए प्रार्थना करती है कि छठे प्रतिवादी (इस अपील में दूसरा प्रतिवादी) द्वारा शाम 5 बजे पहले प्रतिवादी-सोसाइटी की आम सभा की बैठक बुलाने के लिए जारी किया गया नोटिस। और शाम 5:30 बजे कार्यकारी समिति की बैठक। उसी

दिन अर्थात 05.05.2018 को अवैध था; (ii) प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को प्रथम प्रतिवादी-समाज की सामान्य सभा और कार्यकारी समिति की बैठकें बुलाने से रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के डिक्री के लिए; (iii) इस घोषणा के लिए कि पहले प्रतिवादी-समाज के आजीवन संरक्षक के रूप में पांचवें प्रतिवादी (इस अपील में तीसरे प्रतिवादी) की नियुक्ति गैरकानूनी थी; (iv) छठे प्रतिवादी (अपील में दूसरा प्रतिवादी) को पहले प्रतिवादी-सोसायटी के सचिव के रूप में कार्य करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए और (v) सदस्यों की सूची प्राप्त करने और स्वतंत्र संचालन के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रथम प्रतिवादी-समाज के पदाधिकारियों का निष्पक्ष चुनाव।

5. मुकदमे के साथ, अपीलकर्ताओं/वादी ने 2018 की एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन यानी I.A. नंबर 386 दायर की, जिसमें उत्तरदाताओं को 5.5.2018 को सामान्य निकाय और कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश की मांग की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं/वादी ने प्रतिवादी नंबर पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक और इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन यानी 2018 की इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन नंबर 387 भी दायर की है। 5 और 6 क्रमशः संरक्षक और सचिव के रूप में कार्य करते हैं

6. ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमा 23.04.2018 को दायर किया गया था और अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन 24.04.2018 को स्थानांतरित किया गया था। चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादियों ने अगले ही दिन 25.04.2018 को 19 दस्तावेजों के साथ एक जवाबी हलफनामा दायर किया।

7. इसलिए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने 26.04.2018 को एक आदेश पारित किया, जिसमें 2018 के इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन नंबर 386 को अनुमति दी गई और प्रतिवादियों को 5.5.2018 को निर्धारित सामान्य निकाय और कार्यकारी समिति की बैठक के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया गया। . यह नोट करना प्रासंगिक है कि ट्रायल कोर्ट ने न केवल दोनों पक्षों की दलीलों पर ध्यान दिया, बल्कि वादी द्वारा दायर 12 दस्तावेजों और प्रतिवादियों के जवाबी हलफनामों के साथ दायर 19 दस्तावेजों पर भी ध्यान दिया।

8. ट्रायल कोर्ट द्वारा निषेधाज्ञा देने के आदेश के खिलाफ, मुकदमे में पांचवें प्रतिवादी (इस अपील में तीसरा प्रतिवादी) जो जीवन के लिए संरक्षक होने का दावा कर रहा था, ने 2018 के सीएमए नंबर 1 में एक नियमित अपील दायर की। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLII नियम 1(आर) के तहत थोथुकुडी में उप-न्यायालय की फ़ाइल। लेकिन यहां प्रतिवादी संख्या 1 और 2, जो क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 और 6 थे, ने नियमित अपील दायर करने के बजाय, मदुरै की फाइल पर 2018 के सीआरपी (एमडी) (पीडी) संख्या 1084 में एक नागरिक संशोधन दायर किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ।

9. संहिता के तहत अपीलीय उपाय की उपलब्धता के आधार पर पुनरीक्षण की स्थिरता पर आपत्तियों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने सिविल पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के आदेश को रद्द कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध वादीगण उपरोक्त अपील लेकर आये हैं।

10. संशोधन की स्थिरता पर आपत्ति को कुछ निर्णयों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा दूर करने की मांग की गई थी, जो अधीनस्थ न्यायालयों को कानून की सीमा के भीतर रखने के लिए उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के आसपास घूमते थे। फिर उच्च न्यायालय ने 24.04.2018 को दायर निषेधाज्ञा के आवेदन को 25.04.2018 को सुनवाई के लिए लेने और 26.4.2018 को एक आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट में गलती पाई। उच्च न्यायालय की राय में, यह न्याय में जल्दबाजी करने और परिणामस्वरूप दफन हो जाने का मामला था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण की अनुमति दी और निषेधाज्ञा के आदेश को रद्द कर दिया।

11. हमारा मानना है कि प्राथमिक तौर पर उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज करके गलत किया कि सी.एम.ए. में पहले से ही एक अपील थी। नंबर 1 2018 में संहिता के आदेश XLI, नियम 1 (आर) के तहत तूतीकोरिन में उप-न्यायालय के समक्ष, मुकदमे में पांचवें प्रतिवादी (यहां तीसरे प्रतिवादी) के उदाहरण पर, निषेधाज्ञा के उसी आदेश के खिलाफ दायर किया गया था और इसलिए, , अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को लागू करने का कोई औचित्य नहीं था।

12. दूसरे, उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि जब धारा 104 (1)(i) के तहत अपील का एक उपाय आदेश XLIII, नियम 1 (आर) के साथ पढ़ा जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, सीधे उपलब्ध थी, उत्तरदाताओं 1 और 2 को उसी का सहारा लेना चाहिए था। यह सच है कि अपील के उपाय की उपलब्धता हमेशा उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में बाधा नहीं बन सकती है। ए वेंकटसुब्बैया नायडू बनाम में। एस. चेल्लप्पन एवं अन्य.1, इस न्यायालय ने माना कि *"हालांकि उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के खिलाफ कोई बाधा नहीं डाली जा सकती है, यह एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है जिसने न्यायिक मान्यता प्राप्त की है कि उच्च न्यायालय को पार्टी को निर्देश देना चाहिए इससे पहले कि वह किसी संवैधानिक उपाय का सहारा लें, ऐसे उपायों का लाभ उठाएं।"*

13. लेकिन अदालतों को हमेशा (i) ऐसे मामलों के बीच अंतर को ध्यान में रखना चाहिए जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार सिविल न्यायालयों के समक्ष ऐसा वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और (ii) ऐसे मामले जहां विशेष अधिनियमों के तहत ऐसा वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और /या वैधानिक नियम और उनमें उपलब्ध कराए गए मंच अर्ध न्यायिक प्राधिकारी और न्यायाधिकरण होते हैं। पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में, जिसमें सिविल अदालतों के समक्ष मुकदमे और अन्य कार्यवाही शामिल हो सकती है, सीपीसी के प्रावधानों के संदर्भ में अपीलीय उपाय की उपलब्धता को लगभग पूर्ण रोक के रूप में माना जा सकता है। अन्यथा, यह ख़तरा है कि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 227 के तहत पुनरीक्षण में चुनौती दे सकता है, यहां तक कि एक मुकदमे में पारित डिक्री को भी उन्हीं आधारों पर चुनौती दे सकता है जिन पर उत्तरदाताओं 1 और 2 ने उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान किया था। यही कारण है कि इस न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय2 *के फैसले को खारिज करते हुए, राधे श्याम बनाम में इंगित किया। छबि नाथ3 कि "सिविल कोर्ट के आदेश न्यायिक/सिविल अदालतों के अलावा प्राधिकरणों या न्यायाधिकरणों या अदालतों के आदेशों से भिन्न आधार पर खड़े होते हैं।*

14. इसलिए जहां भी कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत होती है और मंच सिविल कोर्ट है, सीपीसी के तहत एक उपाय की उपलब्धता, उच्च न्यायालय को न केवल स्वयं लगाए गए प्रतिबंध के उपाय के रूप में, बल्कि एक मामले के रूप में भी रोक देगी। संविधान के तहत अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से, अनुशासन और विवेक का। इसलिए, उच्च

न्यायालय को अनुच्छेद 227 के तहत संशोधन पर विचार नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे मामले में जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील का एक विशिष्ट उपाय प्रदान किया गया है।

15. एक अन्य पहलू जिसे उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया वह यह था कि यहां दूसरे प्रतिवादी अर्थात् श्री ए. राजेंद्रन को पहले प्रतिवादी समाज के सचिव के रूप में कार्य करने से उप-न्यायालय ने पहले ही रोक दिया था। अभिलेखों से पता चलता है कि प्रथम प्रतिवादी समाज के साथ-साथ दूसरे प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिवीजन दायर किया गया था। यहां दूसरा प्रतिवादी न केवल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका में दूसरा याचिकाकर्ता था, बल्कि उसने सिविल पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के समक्ष पहले प्रतिवादी-सोसाइटी को उसके सचिव के रूप में प्रतिनिधित्व करने की भी मांग की थी।

16. लेकिन यहां अपीलकर्ताओं (मुकदमे में वादी) द्वारा दायर 2018 की एक संबंधित सिविल विविध अपील संख्या 7 में, उप-न्यायालय, थूथुकुडी ने 22.04.2018 को एक आदेश पारित किया, जिसमें दूसरे प्रतिवादी को सचिव के रूप में कार्य करने से रोक दिया गया। प्रथम प्रतिवादी सोसायटी. यह अपील ट्रायल कोर्ट द्वारा एक अंतर्वर्ती आवेदन I.A.No. को ख़ारिज करने के बाद उत्पन्न हुई। दूसरे प्रतिवादी को सचिव के रूप में कार्य करने से और एक अन्य व्यक्ति को संरक्षक के रूप में कार्य करने से रोकने के लिए यहां अपीलकर्ताओं द्वारा 2018 का 387 दायर किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने 2018 के I.A.No.387 को खारिज कर दिया, लेकिन वादी ने सिविल विविध में अपील दायर की। 2018 की अपील संख्या 7। उप-न्यायालय, थूथुकुडी द्वारा 22.04.2018 के एक आदेश द्वारा दूसरे प्रतिवादी को सचिव पद से हटा दिया गया। हालांकि दूसरे प्रतिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में दावा किया है कि 2018 के सी.एम.ए. संख्या 7 में पारित आदेश को 2019 के सीआरपी (एमडी) संख्या 1295 में संशोधन में चुनौती दी गई थी और मदुरै खंडपीठ से यथास्थिति का आदेश प्राप्त किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक समय के बाद वही हुआ। इसलिए, जिस तारीख को पहले प्रतिवादी-सोसायटी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 का सिविल रिवीजन सीआरपी (एमडी) नंबर 1084 दायर किया था, उस दिन दूसरा प्रतिवादी सचिव नहीं था और सोसायटी की ओर से कार्य नहीं कर सकता था। इस पहलू को भी हाई कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया.

17. उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि ट्रायल कोर्ट बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ी, अनुचित प्रतीत होती है। यह सच है कि निषेधाज्ञा के लिए आवेदन 24.4.2018 को दायर किया गया था लेकिन प्रतिवादी नं. 1 और 2 अति उत्साही नहीं तो बहुत सतर्क थे और इसलिए, उन्होंने 25.04.2018 को निषेधाज्ञा के आवेदन पर न केवल एक जवाबी हलफनामा दायर किया, बल्कि 19 दस्तावेज भी दाखिल किए। उन्होंने दलीलें भी दीं, जिस पर विचार करने के बाद ही ट्रायल कोर्ट ने 26.4.2018 को आदेश पारित किया।

18. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 3ए में ही 30 दिनों के भीतर निषेधाज्ञा के लिए आवेदन के निपटान का आदेश दिया गया है, जब भी विपरीत पक्ष को नोटिस दिए बिना निषेधाज्ञा दी गई थी। इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने निषेधाज्ञा का एकपक्षीय आदेश दिए बिना, विपरीत पक्षों को दस्तावेजों के साथ जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति देने का फैसला किया और फिर निषेधाज्ञा के लिए आवेदन की अनुमति देने से पहले विपरीत पक्षों को सुना। गणितीय परिशुद्धता के साथ त्वरित निपटान और जल्दबाजी में प्रेषण के बीच सीमा रेखा खोजना संभव नहीं है। किसी भी मामले में, भले ही उच्च न्यायालय आश्वस्त था कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में कार्रवाई की थी, उच्च न्यायालय केवल मामले को वापस भेज सकता था। लेकिन उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना निषेधाज्ञा के आवेदन को अनुमति दे दी। वास्तव में ट्रायल कोर्ट का आदेश प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटता है और दलीलों और दस्तावेजों पर उचित विचार के बाद गुण-दोष के आधार पर पारित किया जाता है। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मामले को गुण-दोष के आधार पर भी नहीं निपटाया। इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किये जाने योग्य है और ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल किये जाने योग्य है।

19. लेकिन यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.08.2018 द्वारा सिविल पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देने के बाद, दूसरे प्रतिवादी ने 25.09.2018 को सामान्य निकाय और कार्यकारी समिति की बैठक की और आयोजित भी की। चुनाव. नोटिस का आदेश दिया गया तथा उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में यथास्थिति का अंतरिम आदेश दिनांक 8.10.2018 को ही पारित किया गया। इसलिए, यह तर्क देने की कोशिश की गई कि उपरोक्त अपील वस्तुतः निरर्थक हो गई है।

20. सामान्य परिस्थितियों में हम सहमत होते. लेकिन यह एक ऐसा मामला है जहां सामान्य निकाय की प्रत्येक बैठक और प्रथम प्रतिवादी-समाज के लिए चुनाव कराने के हर प्रयास ने तीन अलग-अलग मंचों अर्थात् (i) सिविल के समक्ष मुकदमेबाजी की एक श्रृंखला बनाई है।

न्यायालय) (ii) रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज (iii) उच्च न्यायालय (रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के आदेशों से उत्पन्न रिट याचिकाओं में)। इसे निम्न तालिका से देखा जा सकता है:

क्र.सं.	**वे घटनाएँ जिन्होंने मुकदमेबाजी को जन्म दिया**	**मुकदमे की प्रकृति**	**फोरम जहां दायर किया गया**	**स्थिति**
1	21.03.2015 को आम सभा एवं कार्यकारी समिति बुलाने की सूचना।	ओएस में सूट 2015 की संख्या 79	उप-न्यायालय, तूतीकोरिन।	न्यायालय में वचन देने के बावजूद, बैठकें आयोजित की गईं और पदाधिकारियों का चुनाव किया गया
2	दिनांक 27.03.2015 की कार्यवाही द्वारा, दूसरे प्रतिवादी को प्रथम प्रतिवादी सोसायटी द्वारा संचालित कॉलेज की कॉलेज समिति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। यह 21.03.2015 को हुए चुनावों के आधार पर था।	2016 की रिट याचिका (एमडी) संख्या 3869	मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ।	लंबित
3	तमिलनाडु सोसायटी	2015 के WP	मद्रास उच्च	लंबित

	पंजीकरण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में फॉर्म नंबर 6 और 7 नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास नए अधिकारियों के नाम दर्ज करने के लिए दाखिल किए गए थे। लेकिन रजिस्ट्रार ने इसे खारिज कर दिया	(MD) No.19710 में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें अस्वीकृति को चुनौती दी गई।	न्यायालय की मदुरै खंडपीठ।	
4	21.03.2015 को चुनाव हुए	2016 का एक मुकदमा ओएस नंबर 21 वर्तमान अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा यह घोषणा करने के लिए दायर किया गया था कि कथित तौर पर 21.03.2015 को हुआ चुनाव शून्य और शून्य था और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया था।	तूतीकोरिन में जिला मुंसिफ़ न्यायालय।	मुकदमा लंबित है

5	नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने उपविधि में संशोधन की मांग की। संशोधन को जिला रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया	जिला रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देते हुए 2016 की डब्ल्यूपी (एमडी) संख्या 13144 में एक रिट याचिका दायर की गई।	मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ।	लंबित
6	8.07.2017 को आम सभा और कार्यकारी समिति की बैठकें बुलाने के लिए दिनांक 10.06.2017 को एक नया नोटिस जारी किया गया।	एक सूट O.S. 2017 की संख्या 195 में यह घोषणा करने की मांग की गई कि नोटिस शून्य और शून्य थे और अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए	जिला मुंसिफ़ न्यायालय, तूतीकोरिन	लंबित
7	दिनांक 12.04.2018 को एक पेपर प्रकाशन द्वारा, दूसरे प्रतिवादी ने 5.05.2018 को सामान्य निकाय और कार्यकारी समिति की बैठकें बुलाईं	एक सूट O.S. 2018 की संख्या 145 (जिसमें से वर्तमान अपील उत्पन्न होती है) बताई गई राहतों के लिए दायर की गई थी (सुप्रा)	जिला मुंशीफ, तूतीकोरिन	लंबित

21. इसलिए, हमारा विचार है कि विभिन्न मंचों के समक्ष पक्षों के बीच सभी मुकदमों को समाप्त करने का एकमात्र तरीका विवादित आदेश और उसके अनुसार होने वाले चुनावों को रद्द करना और जनरल को बुलाने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करना है। पदाधिकारियों के चुनाव के लिए निकाय और कार्यकारी समिति। तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कथित तौर पर हुए चुनावों को रद्द कर दिया जाता है। श्रीमती एस सोर्नलता, एडवोकेट, नंबर 1, 1 स्ट्रीट, चिदंबरा नगर, थूथुक्कुडी-628 008 को निम्नलिखित कार्य करने के आदेश के साथ आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है:

(i) इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, अधिवक्ता आयुक्त प्रथम प्रतिवादी-सोसाइटी की सामान्य सभा और कार्यकारी समिति में सदस्यों को नामांकित करने के लिए प्रथम प्रतिवादी सोसायटी के प्रायोजक निकायों/सोसाइटियों को पत्र संबोधित करेंगे। , उपनियमों के अनुसार।

(ii) अधिवक्ता आयुक्त से पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर, प्रायोजक निकाय अपने द्वारा नामित सदस्यों की एक सूची पहली प्रतिवादी सोसायटी की सामान्य निकाय/कार्यकारी समिति को भेजेंगे

(iii) पत्र प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर नामांकन, अधिवक्ता आयुक्त सामान्य निकाय की बैठक और कार्यकारी समिति की बैठक बुलाएंगे और उपनियमों के अनुसार चुनाव कराएंगे।

(iv) चुनाव कराने के बाद, एडवोकेट कमिश्नर यह सुनिश्चित करेगा कि फॉर्म नंबर 6 और 7 रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास पंजीकृत हों ताकि प्रतिद्वंद्वी समूहों के कहने पर ऐसे फॉर्मों का पंजीकरण किसी मुकदमे का विषय न बन जाए।

(v) अधिवक्ता आयुक्त को प्रथम प्रतिवादी सोसायटी द्वारा रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा। 1,00,000/- उसके द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा।

(vi) चुनाव होने और परिणाम घोषित होने तक, अधिवक्ता आयुक्त प्रथम प्रतिवादी-समाज के सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

कल्पना के. त्रिपाठी की अपील स्वीकार की गई

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।